ई-मेल/ स्पीड पोस्ट *संख्या-6/एफ1-304/2018 श्र0सं0-* 6179

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/मुजफ्फरपुर/मुंगेर/भागलपुर/गया/दरभंगा ।
सहायक श्रमायुक्त, छपरा/बेतिया/सहरसा ।
श्रम अधीक्षक, वैशाली-01/समस्तीपुर-01/पूर्णियाँ-01।

पटना, दिनांक- 23-8-18

विषयः- *मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत* **CFMS Software** *से निर्गत किये गये* **CFMS Order No.- 5334** *एवं* **dated- 23-08-18** *के संबंध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण *राज्य योजना श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत* **CFMS Software** *से निर्गत किये गये* **CFMS Order No.- 5334 dated- 23-08-18** में आवंटित की गयी राशि की निकासी हेतु निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि॰ दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में ***31 मार्च 2019*** तक व्यय के निमित है।

3. **Object Head 26-01- Advertising & Publication** (विषयशीर्ष-0108.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन) से सभी प्रमंडलीय कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित की गयी राशि श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्त्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत प्रत्येक जिला/प्रखण्ड एवं पंचायत में सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रचार-प्रसार एवं संबंधित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दावा पत्र एवं अभियोजन से संबंधित प्रपत्र उचित मात्रा में छपवाने हेतु आवंटित की गयी है।

4. **Object Head 13-01- Office Expenses** (विषयशीर्ष-0108.13.01 कार्यालय व्यय) से आवंटित की गयी राशि **Gem Portal** *के निर्धारित दर पर/बिहार वित (संशोधन) नियमावली,* ***2005 के नियमों*** के आलोक में क्रय हेतु है। यह आवंटन सहायक श्रमायुक्त, मुख्यालय बेतिया के **पत्रांक-884 दिनांक-22.6.18, सहायक श्रमायुक्त, सहरसा के पत्रांक-445 दिनांक-30.6.18, श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01 के पत्रांक-486 दिनांक- 12.7.18, श्रम अधीक्षक, वैशाली-01 के पत्रांक-692 दिनांक-20.06.18, उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1249 दिनांक-25.06.18 एवं श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-470 दिनांक-22.06.18 के संदर्भ में है।**

26/

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित राशि से सभी प्रकार के विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

23/08/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/18 श्र0सं0- 6179 पटना, दिनांक 23.8.18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित ~~प्रमंडलीय आयुक्त~~/***संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी***/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/08/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।